

राज्य अधीन प्रतिक्रिया
जोधपुर

श्री अविद्वान उज्ज्वल वरिये अधिवक्ता महोदय सिंह, अधिवक्ता-रेस्था.
 श्री बी.एस. शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाउर्स
 संख्या 2/1 सं 2/4

उपस्थित-

----- 0 -----

अपील अन्वयेत धारा 225 राजस्थान कायदाकरी
 अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश महोदय
 कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी, बावडी दिनांक 04
 जून 2018 राजस्व पत्रांका 43 संख्या 229/2013
 नरेशसिंह व अन्य बनाम उम्मेदसिंह इत्यादि

1. नरेशसिंह व अन्य बनाम उम्मेदसिंह इत्यादि
2. श्री अविद्वान उज्ज्वल वरिये अधिवक्ता महोदय सिंह, अधिवक्ता-रेस्था.
3. श्री बी.एस. शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाउर्स
4. संख्या 2/1 सं 2/4
5. अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश महोदय
6. कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी, बावडी दिनांक 04
7. जून 2018 राजस्व पत्रांका 43 संख्या 229/2013
8. नरेशसिंह व अन्य बनाम उम्मेदसिंह इत्यादि



श
ली
ब

अपीलाउर्स ...

1. नरेशसिंह व अन्य बनाम उम्मेदसिंह इत्यादि
2. श्री अविद्वान उज्ज्वल वरिये अधिवक्ता महोदय सिंह, अधिवक्ता-रेस्था.
3. श्री बी.एस. शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाउर्स
4. संख्या 2/1 सं 2/4
5. अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश महोदय
6. कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी, बावडी दिनांक 04
7. जून 2018 राजस्व पत्रांका 43 संख्या 229/2013
8. नरेशसिंह व अन्य बनाम उम्मेदसिंह इत्यादि

225RTA2018-00191Ju2018-90 Narendrasingh etc Vs Ummedsingh etc

न्यायालय राजस्व अधीन प्रतिक्रिया, जोधपुर
जोधपुरी अधिवक्ता श्री नरेशसिंह वरिये, आर.एस.

राजस्थान अपील प्रशासनिक न्यायालय
जोधपुर
(नयादोल बरड)

दिनांक 28/11/2021
विषय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कर दे।

डी. सी. सामान शिवादा दे और तपस्यादा दीन दिवस में रखी दे पेश
अपील/पेशीकरण अपीलस्थ न्यायालय में अपील/पेशीकरण को रिकॉर्ड प.
दिनांक 04 जून 2018 को खारिज किया जाता है कि वहाँ
संख्या 229/2013 नरेंद्रसिंह व अन्य बनाम उम्मेदसिंह इत्यादि में पेशित
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी बावड़ी द्वारा राजस्थान प्रशासन
सुपरीकार की जाकर की जाती है तथा अपीलस्थ न्यायालय न्यायालय
उपरोक्त विवेक एवं विवेक्षण के आधार पर अपील अपीलस्थ
को सम्मान योग्य नहीं ठहरा है।

अवसर दिने बिना याकतिका न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया जाता है
न्यायालय द्वारा पेशित अपीलस्थ आदेश अपीलस्थ को सुनवाई का
अवहेलना में खारिज किया जाता पाया जाता है। अपीलस्थ
आदेश 09 जून 05 सीपीसी के तहत न्यायालय आदेश की
वैधता में रखी जाकर पेशीकरण का प्रशासन पर अवहेलना
सामान/सूचना के दिनांक 04.06.2018 को राजस्थान के न्याय कोर्ट
प्रादेशी न्याय पेशी पर अदावात में प्रस्तुत नहीं होकर बिना किसी
तद: प्रस्ताव पेशी में न्याय जारी पेशी दिनांक 07.02.2018 को

